बिहार शिक्षा परियोजना परषिद्,
जिला कार्यालय, बाँका

निशीथ प्रणीत सिंह, बि0शि0से0
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा0शि0 एव समग्र शिक्षा, बाँका)
मोबाईल न0–8544411049

J.P.S. Complex, 1st floor,
Katoriya Road, Banka-813102
Phone/fax No- 06424-221636/35
Email – bepbanka@gmail.com

पत्रांक– एस0एस0ए0...3785....

बांका दिनांक 10.04.2022

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
एस0बी0पी0विद्या बिहार, बौंसी।

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय

आपके आवेदन पत्र एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक मे आपके विद्यालय एस0बी0पी0 विद्या बिहार बौंसी को कक्षा I से **VIII** तक संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2025 तक की अवधि विस्तार के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधिन होगी:

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (अनुलग्न–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंग।
3. विद्यालय अपने कक्षा 1 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का अपने पड़ोस के कमजोर एवं बंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी होगा।
4. कंडिका 3 में उद्धत बच्चों के मामले में एस0बी0पी0 विद्या बिहार, बौंसी विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उप धारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाले राशि की प्राप्ति के विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का परीक्षण नही किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्वें के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन के विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से एक कारण से इंकार नहीं किया जा सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें:
   I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   II. किसी भी बच्वें को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जायेगा।
   III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परंतु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्ममान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है वे पाँच वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगें।

VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्वों के निर्वहन करेंगें।

VIII. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम के धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम के धारा 19 मे उद्धत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है:–

    विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल : 8457.15 SM
    वर्गकक्षों की कुल संख्या : 37
    पेयजल की सुविधा : पर्याप्त
    बाधारहित पहुँच : उपलब्ध
    खेल–कूद उपकरण : पर्याप्त
    खेल के मैदान : उपलब्ध
    प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष : 01
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर : 01
    शिक्षण अधिगम सामग्री : पर्याप्त
    पुस्तकालय : 01
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर बिद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 / समग्र शिक्षा) को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को पूर्व से आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **SSA/RTE/BAK/2019-20/75** है। इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जायेगा।
17. निदेशक, प्रथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 / समग्र शिक्षा) के द्वारा समय समय पर माँग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो को लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चतता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।
20. उक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सह अध्यक्ष प्रस्वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

10.04.2022

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, बांका